

मैनुअल संख्या-3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

1. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रम के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण की व्यवस्था है। कार्यक्रम कार्यान्वयन और उपलब्धि संकेतकों—दोनों पक्षों को लेकर नियमित आधार पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार मानीटरिंग की व्यवस्था है –
 - (क) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा विदेशी वित्त पोषित एजेंसियों, यदि कोई हो तो, के द्वारा संयुक्त पुनरीक्षा।
 - (ख) पूरी पारदर्शिता सहित समुदाय आधारित मानीटरिंग।
 - (ग) संसाधन व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र के सतत दौरे और सुधार के लिए सुझाव।
 - (घ) पर्यवेक्षण, मानीटरन, मूल्यांकन तथा अनुसंधान के लिए अनुसंधान और संसाधन संस्थाओं को राज्य विशिष्ट दायित्व।
 - (ङ) वार्ड/गांव/स्कूल स्तरीय कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक स्वामित्व।
 - (च) प्रत्येक स्कूल में व्यय विवरण एक सार्वजनिक दस्तावेज (सामाजिक लेखापरीक्षा) होगा।
 - (छ) वीईसी द्वारा कई क्रियाकलापों का अनिवार्य कार्यान्वयन।
 - (ज) बस्ती—आधारित आयोजन।
2. कार्यक्रम के अधीन मानीटरन की परिकल्पना त्रिस्तरीय रूप में की गई है: (i) स्थानीय सामुदायिक स्तर पर (ii) राज्य स्तर पर (iii) राष्ट्रीय स्तर पर मानीटरन। समुदाय आधारित मानीटरन कार्यक्रम की एक शक्ति है जो कि सही ढंग से कार्यान्वित न किए जाने पर एक बड़ी कमजोरी बन सकती है। शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) इस आशय के प्रावधान शामिल करेगी कि स्कूल स्तरीय आंकड़ों का मिलान सूक्ष्म आयोजन और सर्वेक्षणों से प्राप्त समुदाय आधारित सूचना के साथ किया जाए। इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल में एक ऐसा नोटिस बोर्ड होना चाहिए जिसमें स्कूल द्वारा प्राप्त सभी अनुदान और तत्सम्बन्धी ब्यौरे दर्शाए गए हों। दाखिले, उपस्थिति, प्रोत्साहन आदि के सम्बन्ध में ब्लॉक और जिला स्तर को भेजी गई सभी रिपोर्टें स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। रिपोर्टें प्रस्तुत करने के प्रपत्र सरल बनाए जाएंगे ताकि परिणामों की रहस्यमयता दूर कर दी जाए और कोई भी आदमी आंकड़े समझ सके। स्कूल के लिए यह जरूरी होगा कि जो जानकारी वह ऊपर स्तर को भेजता है उसे प्रदर्शित करे ताकि उपस्थिति तथा छात्रों की उपलब्धि सार्वजनिक जानकारी बन सके। ईएमआईएस नियतकालिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने की प्रणाली का आधार बनेगी। इसके अलावा क्लासरूम परिपाटियों में बदलाव दर्ज करने के लिए प्रशिक्षक क्लासरूम प्रक्रिया प्रेक्षकों के रूप में काम करेंगे। नियतकालिक मानीटरन दल चुनिंदा स्कूलों के यादृच्छिक दौरे करेंगे और इनके बारे में विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाएगी। मानीटरन में बुनियादी सिद्धान्त इसका सामुदायिक स्वामित्व और वाह्य दलों द्वारा—क्रियाकलाप से बाहर किन्तु प्रणाली के भीतर नियतकालिक गुणवत्तात्मक

जाचें होगी। कार्यक्रम कार्यान्वयन को लेकर स्वतंत्र फीडबैक को प्रभावित करने के लिए प्रमाणित उत्कृष्टता वाले अनुसंधान और संसाधन संस्थानों को मानीटरन में सभी स्तरों पर सहयोजित किया जाएगा।

3. समुदाय को ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) जैसे उसके प्रतिनिधि संस्थानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का बुनियादी स्तर का काम सौंपा गया है कि स्कूल प्रभावी रूप से काम करें। स्कूल के कार्यकरण के सम्बन्ध में अधिकांश गुणवत्तात्मक प्रभावों का केवल स्थानीय स्तर पर ही मानीटरन किया जा सकता है और उनके बारे में राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी प्राप्त करना दुष्कर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तात्मक दृष्टि से मानीटरन करने के लिए समुदाय आधारित मानीटरन की प्रभाविता और स्थानीय स्तर के मूल्यांकन पर तथा यह सुनिश्चित करने पर अधिक निर्भर रहना होगा कि यह प्रणाली समुचित ढंग से काम कर रही है। इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानीटरन, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति तथा एस0एस0ए0 लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में की गई प्रगति—इन दोनों के परिमाणात्मक पक्ष पर अधिक बल देगा।
4. इन दो लक्ष्यों के सम्बन्ध में परिमाणात्मक आंकड़े प्राप्त करने के प्रयोजन से दो प्रकार की सूचना प्रणालियां तैयार की गई हैं। इनमें से एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) है जिसके अधीन 30 सितम्बर को रिकार्ड तारीख मानते हुए प्रतिवर्ष स्कूल स्तरीय आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। इन आंकड़ों के बल पर अनेक संकेतकों को मापा जा सकेगा जैसे कि नामांकन, सकल नामांकन अनुपात, विशुद्ध नामांकन अनुपात, शिक्षा में बने रहने की दर, शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर, शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की दर, एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने वालों की दर, अंतरण दर आदि। प्रत्येक राज्य में किए गए पारिवारिक सर्वेक्षण की आधार पर उपलब्ध आंकड़ों सहित इस तरह के आंकड़ों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूल न जा सकने वाले बच्चों आदि पर प्रकाश डालेंगे। दूसरी सूचना प्रणाली का नाम परियोजना प्रबन्ध सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) है जिसमें परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूर की गई संदर्श योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में भौतिक और वित्तीय—दोनों अर्थों में की गई प्रगति को तिमाही आधार पर दर्ज करने पर बल दिया जाएगा। किसी भी मानीटरन प्रणाली को इन दो प्रबन्ध सूचना प्रणालियों के अधीन भेजे जा रहे आंकड़ों की शुद्धता और तेजी का जायजा लेना होगा।
5. जबकि सतत मानीटरन एक बराबर चलने वाली प्रक्रिया होगी इसके पूरक के रूप में राज्यों में प्रतिवर्ष दो पर्यवेक्षण मिशन भेजे जाएंगे। इन पर्यवेक्षण मिशनों में भारत सरकार और वित्तपोषी एजेंसियों (यदि कोई हों तो) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन पर्यवेक्षण मिशनों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अलग-अलग राज्यों का दौरा करेंगे और राज्य के चुनिंदा जिलों के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रथमशः जांच करेंगे। उनका दृष्टिकोण एक समग्र प्रकृति का होगा जिसमें कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिमाणात्मक और गुणवत्तात्मक दोनों तरह के पहलुओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया जाएगा। इन मिशनों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यक्रम कार्यान्वयन और साथ ही राज्य में सामान्य भौक्षिक परिदृश्य दोनों के सम्बन्ध में चिंता के क्षेत्रों का विशिष्ट उल्लेख करेंगे।
6. राज्य कार्यान्वयन सोसायटियां (एसआईएस) भी गहन मानीटरन करेंगी। यूईई के लिए राष्ट्रीय मिशन के प्रतिनिधि और एनसीटीई, नीपा तथा एनसीईआरटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी नियतकालिक मानीटरन करेंगे और प्रणालियों के मूल्यांकन और मानीटरन को सुदृढ़ बनाने के लिए एसआईएस को संसाधन सहायता प्रदान करेंगे। अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए राज्य विशिष्ट दायित्वों का निर्वाह करने के इच्छुक स्वायत्त संस्थानों को सहयोजित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। उपलब्धि परीक्षाएं आयोजित करने,

कार्यक्रम कार्यान्वयन, मूल्यांकन और अनुसंधान अध्ययनों के गुणवत्तात्मक पक्षों का मानीटरन करने के लिए भी कई स्वतंत्र संस्थानों को सहयोजित किया जाएगा।

7. क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन गुणवत्ता एक प्रमुख चिंता का कारण है इसलिए इसका मानीटरन एक प्राथमिकता होगी। गुणवत्ता के मानीटरन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को समझना जरूरी होगा। महसूस की गई जरूरतों के अनुसार प्रक्रिया और गुणवत्तात्मक संकेतक तैयार किए जाने होंगे ताकि कार्यक्रम कार्यान्वयन की गुणवत्ता का जायजा लिया जा सके। इस तरह के प्रयासों के लिए संस्थानों, पीआरआई, स्कूल समितियों आदि के साथ साझेदारी बनानी जरूरी होगी। इस प्रयोजन के लिए समुचित मानीटरन प्रपत्र तैयार करने के निमित्त प्रशिक्षण और दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम, प्रक्रिया प्रलेखन के माध्यम से गुणवत्तात्मक मानीटरन तथा मुद्दों को गहन रूप से समझने के लिए स्थिति विषयक अध्ययनों की जरूरत होगी। एस0एस0ए0 के अधीन मानीटरन प्रणाली बहुमुखी होगी ताकि गुणवत्ता के लिए सतत् प्रयास किए जाते रहे।
8. क्योंकि मानीटरन और पर्यवेक्षण का काम एक बहुत बड़ा काम है जिसमें सतत आधार पर बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाने होते हैं अतः इस प्रयोजन के लिए काफी बड़ी संख्या में अर्थात् 43 व्यावसायिक संस्थानों का चयन किया गया है। 25 या इससे कम जिलों वाले राज्यों में एक संस्थान रहेगा, 50 जिलों तक 2 संस्थान और 50 से अधिक जिले होने पर 3 संस्थान रहेगे। जिन राज्यों के साथ 2 से अधिक संस्थान जुड़े हुए हैं उनमें एक संस्थान प्रमुख संस्थान होगा जोकि समूचे राज्य के लिए आंकड़ों का मिलान करने और इस प्रयोजन के लिए विभिन्न संकेतकों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होगा। इन संस्थानों को अलग-अलग राज्य आबंटित कर दिए गए हैं जिनके साथ वे दीर्घकालीन साझेदारी निर्मित करेंगे। ये संस्थान केवल पर्यवेक्षण और मानीटरन का ही काम नहीं करेंगे बल्कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के भागीदारों के रूप में भी काम करेंगे। चुनिंदा संस्थान तिमाही आधार पर निम्न काम करेंगे:
 - (क) अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन के बारे में हर तिमाही में रिपोर्टें प्राप्त करना और भारत सरकार/राज्य सरकार को एक समेकित रिपोर्ट भेजना।
 - (ख) नामांकन, स्कूल न जा सकने वाले बच्चों, सुविधाविहीन बस्तियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता आदि जैसी प्रमुख उपलब्धि संकेतकों की पूर्ति की दिशा में की गई प्रगति की रिपोर्टें हर तिमाही में प्राप्त करना और भारत सरकार/राज्य सरकार को एक समेकित रिपोर्ट भेजना।
 - (ग) चुनिंदा जिलों में एक तिमाही दौरा करना और निम्न का मूल्यांकन करना:
 - सामुदायिक स्तर मानीटरन की प्रभाविता और ग्राम स्तर पर वीईसी/एसएमसी/पीटीए तथा ब्लॉक/संकुल स्तर पर बीएलईसी/बीआरसी/सीआरसी जैसे स्थानीय स्तर के संस्थानों का कार्यकरण।
 - नमूना जांचों के जरिए पीएमआईएस तथा ईएमआईएस के अधीन भेजे जाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता का सत्यापन करना।
 - ईएमआईएस का कार्यकरण सुनिश्चित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईएमआईएस आंकड़े 30 सितम्बर की रिकार्ड तारीख के अनुसार इकट्ठे किए जाते हैं और एक महीने के समय के भीतर रिपोर्ट राज्य स्तर को भेज दी जाती है।

- पर्यवेक्षण मिशनों द्वारा वर्णित चिंता के क्षेत्रों के बारे में की गई प्रगति का मानीटरन करना।
- (घ) 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के सम्बन्ध में तिमाही और पूरे वर्ष के लिए मूल्यांकन किया जाना होगा। जहां तक अन्य तिमाहियों का सवाल है तिमाही रिपोर्ट के साथ-साथ वर्ष के अंत तक मूल्यांकन उपलब्ध कराया जाना होगा।
- (ङ) एस0एस0ए0 के विशिष्ट मानीटरन संकेतकों जैसे कि जीईआर, एनईआर, स्कूल न जा सकने वाले बच्चों, शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर, शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की दर, अंतरण दर, एक ही कक्षा में दोबारा से पढ़ने वाले बच्चों की दर के बारे में वर्ष के अंत में गणना करना।
- (च) जिन राज्यों के साथ दो या उनसे अधिक संस्थान संबद्ध हैं उनमें प्रमुख संस्थान की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य स्तर पर रिपोर्टों का समेकन करे और ऊपर बताए गए सभी प्राचलों के बारे में राज्य की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करें। राज्य के साथ संबद्ध अन्य संस्थान केवल भारत सरकार/राज्य सरकार को ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य प्रमुख संस्थानों को भी रिपोर्टें भेजेंगे।
9. राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों का समन्वय नीपा और एनसीईआरटी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को उनके बीच बांट दिया जाएगा और सम्बन्धित राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही इन दोनों संस्थानों द्वारा की जाएगी। एक सामान्य राष्ट्रीय स्तर की तस्वीर प्राप्त करने के निमित्त राज्यों से प्राप्त आंकड़ों को मिलाने के प्रयोजन से नीपा एक नामित नोडल एजेंसी होगी और वह सभी राज्यों से विवरण प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सम्पर्क बनाए रखेगी।

भारत सरकार द्वारा सम्वर्ती वित्तीय समीक्षा और मानीटरन

1. सभी स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें प्राप्त हुई निधियों और इन निधियों में से किए गए खर्च का सही हिसाब-किताब रखेंगी। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खर्च उस प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए निधि मंजूर की गई थी और वह संगत वित्तीय विनियमों/नियमों के अधीन आता हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिसाब-किताब सही ढंग से रखा जाए और निधियां उस प्रयोजन के लिए खर्च की जाए जिसके लिए मंजूर की गई थी भारत सरकार द्वारा नियतकालिक अंतरालों पर एक समवर्ती वित्तीय समीक्षा और मानीटरन किया जाएगा।
2. राज्य कार्यान्वयन सोसायटी के लेखे भारत सरकार/राज्य सरकार तथा उनके द्वारा भेजे गए लेखा परीक्षा दल द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे।
3. भारत सरकार ने हाल में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित वित्तीय रिपोर्टों विशेष रूप से राज्य सोसायटियों को प्रदान की गई निधियों के उपयोग और राज्य, जिला तथा उपजिला स्तर पर विभिन्न क्रियाकलापों के वित्तपोषण से सम्बन्धित वित्तीय पक्षों का मानीटरन करने के निमित्त एक मार्गदर्शी अध्ययन करने के लिए भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान आफ इंडिया की सेवाएं प्राप्त की हैं। भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान ने कुछ राज्यों में मार्गदर्शी अध्ययन किया है और अध्ययन के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। वित्तीय प्रबन्ध तथा नमूने के राज्यों की वर्ष दर वर्ष आधार पर अधिप्राप्ति का समवर्ती मानीटरन करने का काम पुनः

उसी संस्थान को सौंपा गया है और भारत सरकार इस तरह की समवर्ती समीक्षा और मानीटरन के लिए समय-समय पर अन्य छोटे संगठनों को नियुक्त कर सकती है।

4. राज्य उनके लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए इसी प्रकार के विश्वसनीय संस्थानों अथवा सनदी लेखाकारों की कम्पनियों को नियुक्त करने पर भी विचार कर सकता है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय प्रबन्ध जांचों के संकेतक

1. भारत सरकार एस0एस0ए0 राज्यों के वित्तीय प्रबन्ध मुद्दों पर तिमाही आधार पर मानीटरन करेगी। तकनीकी अनुसमर्थन समूह का सुदृढीकृत वित्तीय मानीटरन यूनिट इस प्रयोजन के लिए ईई ब्यूरो की सहायता करेगा। समीक्षा में एस0पी0ओ0 तथा विशेष रूप से राज्य कार्यान्वयन सोसायटी का वित्त कार्यालय शामिल होगा।
2. **व्यय:** अनुमोदित एडब्ल्यूपी में से किए गए खर्च का मानीटरन तिमाही आधार पर किया जाएगा।
3. **निधि प्रवाह:** विभिन्न स्रोतों से निधियों की प्राप्ति और तदनन्तर जिला स्तर और उपजिला स्तर पर निधियां प्रदान करने की प्रक्रिया का छमाही आधार पर मानीटरन किया जाएगा।
4. **अग्रिम:** डी0पी0ओ0 स्तर और उपजिला स्तर सहित जिला स्तर पर 12 महीने से अधिक समय से अव्ययित पड़े रहे एक लाख रुपये से अधिक की अग्रिमों के ब्यौरों का छमाही आधार पर मानीटरन किया जाएगा।
5. **वित्तीय प्रबन्ध के लिए स्टाफ:** राज्य और जिला स्तर पर वित्तीय प्रबन्ध स्टाफ की तैनाती का छमाही आधार पर मानीटरन किया जाएगा।
6. **वित्तीय प्रबन्ध स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:** एस0एस0ए0 के अधीन आयोजन, बजट निर्माण, लेखांकन, अधिप्राप्ति, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि जैसे विषयों को समाहित करने वाले वित्तीय प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रशिक्षण और दिशा-अनुकूलन प्रशिक्षण सभी वित्तीय प्रबन्ध स्टाफ को नियतकालिक अंतरालों पर दिया जाना चाहिए।
7. **वाह्य लेखापरीक्षा:** सोसायटियों के लेखों की वार्षिक आधार पर वाह्य लेखापरीक्षा की जानी है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

1. आंतरिक लेखापरीक्षा एक ऐसा नियंत्रण है जोकि संगठन के भीतर अन्य नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभाविता की जांच और मूल्यांकन करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के क्रियाकलापों में सभी भुगतान लेखापरीक्षा और साथ ही कार्यक्रम के वित्तीय, प्रचालनात्मक तथा नियंत्रण क्रियाकलापों का स्वतंत्र मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा की जिम्मेदारियों में इन बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल होना चाहिए। आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, लेन-देनों की शुद्धता और औचित्य, वह सीमा जिस तक

परिसम्पत्तियों का हिसाब रखा गया है और उनकी सुरक्षा की गई है तथा एस0एस0ए0 वित्तीय मानदंडों और राज्य सरकार की क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर।

2. रहस्यमुक्त समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जोकि सामाजिक लेखा परीक्षा की अनुमति देते हैं वित्तीय मानीटरन की प्रणाली भी महत्वपूर्ण है। सभी वित्तीय मानीटरन को पूरी पारदर्शिता के साथ सामाजिक मानीटरन की प्रणाली के भीतर काम करना होगा। लेखापरीक्षकों, सामुदायिक नेताओं, अध्यापकों आदि के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम जिससे कि वे सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सर्वसुलभ प्रारम्भिक परीक्षा की स्थिति समझ सकें और उसका महत्व स्वीकार कर सकें।
3. राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को समुचित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए और एडब्ल्यूपी तथा बी में स्वीकृत निधियों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक जांचों और कार्यालयी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।
4. ऐसे राज्यों में जिनमें कार्यालयी आंतरिक लेखापरीक्षा दल मौजूद नहीं हैं उनमें आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए भी अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकारों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
5. प्रतिशतता आधार पर चुने गए जिला परियोजना कार्यालयों और उपजिला इकाइयों की लेखापरीक्षा इस तरह की जानी चाहिए कि एक बार सभी जिलों और उपजिला यूनिटों को तीन वर्ष में कम से कम एक बार कवर किया जा सके। आंतरिक लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमित बैंक समाधान सहित निर्धारित लेखांकन प्रणाली का कड़ाई से पालन किया जाता है।
6. जिलों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण जिसमें अनुमोदित बजट प्रावधान और महीने के दौरान किया गया खर्च, वर्ष के दौरान क्रियाकलाप/उप-क्रियाकलापों पर किया गया संचयी खर्च दर्शाया जाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।
7. सिविल निर्माण कार्यों, माल और परामर्शी सेवाओं के लिए अपनायी गई अधिप्राप्ति क्रियाविधि की आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक अधिप्राप्ति के लिए सही क्रियाविधि अपनाई गई है।
8. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी अधिप्राप्तियों, करारों, कार्य/खरीद आदेशों, बीजकों, प्राप्तियों, स्टाक रजिस्ट्रों आदि से सम्बन्धित रिकार्ड समुचित रूप से रखे जाते हैं, सही ढंग से संबद्ध किए जाए और बनाए रखे जाते हैं।
9. आंतरिक लेखापरीक्षा में देखी गई विषमताएं आवश्यक उपचारी उपाय करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक को सूचित की जानी चाहिए। सभी आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के रिकार्ड आंतरिक लेखापरीक्षा यूनिट में रखे जाने चाहिए और उन पर अंतिम रूप दिए जाने तक कार्रवाई की जानी चाहिए।
10. आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट भी कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

नोट:— भारत सरकार (एम0एच0आर0डी0) द्वारा प्रकाशित हस्तपुस्तिका **वित्तीय प्रबन्ध और अधिप्राप्ति पर नियम पुस्तिका** से उद्धृत।